

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र. /निगरानी/2017-विदिशा

R 1784-I-17

दिमान सिंह पुत्र परमोला जाति चमार
निवासी-ग्राम जोहद तहसील- नटेरन
जिला विदिशा म.प्र.आवेदक

बनाम

1. जगना पुत्र बुद्धा जाति आदिवासी
निवासी- ग्राम दिघौनी तह. नटेरन
जिला विदिशा म.प्र.
2. बने सिंह उर्फ वंशीलाल पुत्र परमोला
चमार
3. गुमानी 4. हरीसिंह पुत्र नत्थू चमार
निवासीगण- जोहद, तह. नटेरन जिला
विदिशा म.प्र.अनावेदकगण

कुवरा सिंह कुशवह, काशी
3-3-17 को
प्रस्तुत
वर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र.भूराजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत
विरुद्ध आदेश एस.डी.ओ. विदिशा के प्र.क्र. 01/A23/2016-17 (पुराना नम्बर
01/A23/2005-06) आदेश दिनांक 13/01/2017 को पारित।

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार है :-

1. यहकि, विवादित आराजी नम्बर 756 रकवा 3.491 हैक्टे. है जो
निगरानीकर्ता के पूर्वज ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक
09.02.1962 क्रय की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा विधि नामांतरण
पंजी क्र. 43 दिनांक 27.08.1966 को नामांतरण हुआ पूर्वज
(पिता) परमोला पुत्र गुलाब चमार की मृत्यु उपरांत पुत्र दिमान सिंह,
बनेसिंह उर्फ बंशीलाल पुत्र परमोला चमार का नामांतरण हुआ के बाद

अनावेदक कृपांक 1 जगना पुत्र बुद्धा आदिवासी ने एस.डी.ओ. के


कुवरा सिंह कुशवह
3/3/17
[Signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-784-एक/17

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-11-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	